न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 23/2019 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. रामु पुत्री भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **प्रार्थीया**

बनाम

1. रामपाल आत्मज भंवरलाल ब्राहम्ण निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कैलाश आत्मज मीठालाल ब्राहम्ण निवासी नाथड़ियास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा **विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. महेन्द्र सिंह — अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक 03.04.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मौखमपुरा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे मुझ प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2004/1216 रकबा 0.28 हैक्ट., आराजी संख्या 2007/1217 रकबा 0.31 हैक्ट., आराजी संख्या 2010/1234 रकबा 0.04 हैक्ट. आराजी संख्या 2014/1549 रकबा 0.03 हैक्ट. आराजी संख्या 2015/1550 रकबा 0.23 हैक्ट. कुल किता 5 कुल रकबा 0.89 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 126 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारो तरफ कोई मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटनें दरमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं। जिससे प्रार्थीया को अपनी उक्त आराजी की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थीया की उक्त आराजी चारो तरफ के पड़ौसी होन से उन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् कहा लेकिन वे टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थीया दिनांक 31.01.2019 को अन्तिम बार विपक्षीगण को पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन वे इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 31.01.2019 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 06.02.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम मौखमपुरा तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे मुझ प्रार्थीया के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 2004/1216 रकबा 0.28 हैक्ट., आराजी संख्या 2007/1217 रकबा 0.31 हैक्ट., आराजी संख्या 2010/1234 रकबा 0.04 हैक्ट. आराजी संख्या 2014/1549 रकबा 0.03 हैक्ट. आराजी संख्या 2015/1550 रकबा 0.23 हैक्ट. कुल किता 5 कुल रकबा 0.89 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 126 पर स्थित हैं। उक्त आराजियात की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीया द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 400/– अक्षरे चार सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा